न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 127 / 2019 दायरा दिनांक : 24.12.2019

उनवान

1– शमीम पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद खां, उम्र 65 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पचपहाड, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ हाल निवासी नेहरू कालोनी, नयापुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– हनीफ खां आत्मज मोहम्मद खां, उम्र 38 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पचपहाड, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ हाल निवासी नेहरू कालोनी, नयापुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– अब्दुल रफीक आत्मज मोहम्मद खां, उम्र 32 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पचपहाड, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ हाल निवासी नेहरू कालोनी, नयापुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4-- नसीम बानो पुत्री मोहम्मद खां, उम्र 45 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पचपहाड, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ हाल निवासी नेहरू कालोनी, नयापुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– मेहरूनिशा बेवा मोहम्मद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2– रईस आत्मज मोहम्मद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3– रजिया बेगम पत्नी सद्दाम पुत्री मोहम्मद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

4– मुन्ना खां आत्मज मोहम्मद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– शमापरवीन पत्नी जाकिर पुत्र मोहम्मद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सुनेल (भवानीमण्डी) जिला झालावाड

6– सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सुधीन्द्र यादव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वीरेन्द्र सोनगरा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 128/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खोद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ में जमाबंदी संख्या 250 में खसरा नम्बर 513/1 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 592 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित है । ग्राम किशनपुरा में जमाबंदी संख्या 104 में खसरा नम्बर 39 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमें खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी मोहम्मद खां आत्मज चांद खां के नाम दर्ज है । उपरोक्त वर्णित आराजी ग्राम खोद खसरा नम्बर 513/1, खसरा नम्बर 592, एवं ग्राम किशनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 39/1 के सम्बन्य में यह वाद प्रस्तुत किया गया है । वादग्रस्त आराजी मोहम्मद खां आत्मज चांद खां के नाम वर्तमान में खाते में दर्ज है । वादी रेस्पोडेंट नं. 1 की बेवा है तिा वादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 5 मोहम्मद खां के पुत्र व पुत्रियां हैं । मोहम्मद खां का देहान्त दिनांक 12.05.2018 को हो गया है । रहीमन बेवा चांद खां जो कि वादी रेस्पोडे।ट के पिता व पति मोहम्मद आत्मज चांद खां की माता थी जिनका देहान्त मोहम्मद पिता चांद के जीवनकाल में ही हो गया तथा एक मात्र वारिसान वादी रेस्पोडेंट है । मोहम्मद खां आत्मज चांद खां ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी को मुस्लिम विधि के अनुसार वादीगण रेस्पोडेंट को बक्शीष (दान) की गई । बक्शीष नामा 100/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 13.06.2011 को

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

लिखकर हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया । वादीगण रेस्पोडेंट ने वाद के अन्त में निवदेन किया कि डिकी बहक वादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 प्रदान कर वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संख्या 250 में खसरा नम्बर 513/1 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 592 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा एवं ग्राम किशनपुरा में जमाबंदी संख्या 104 में खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार कृषक वादी रेस्पोडेंट को घोषित किया जावे, प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करावें । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील पचपहाड़ में रहीमन बेवा चांद खां का नाम खाते से कम किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में दिनांक 30.10.2019 को डिकी पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिकी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के विपरीत है । चांद खां के दो पत्नीयां थी एक शमीम जो अपीलांट नम्बर 1 है तथा दूसरी पत्नी मेहरूनिशा रेस्पोडेंट कम 1 है । इन तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 द्वारा उक्त वादी प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिकी करने के पूर्व इस बात की रिपोर्ट तहसील से नहीं मंगवायी कि उक्त आराजी पर वास्तविक रूप से किसी कब्जा है, जबकि मोहम्मद खां के जीवनकाल के समय से लेकर आज तक अपीलांटगण का ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलांट का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.10.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
...
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2019 में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 वादी के रूप में एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रतिवादी के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.06.2011 के दान पत्र के आधार पर प्रकरण का निर्णय किया है जिसमें जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 250 किता 2 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़ एवं जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील पचपहाड़ का वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 को खातेदार कृषक घोषित किया है तथा खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील पचपहाड़ से प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 5 का नाम कम किये जाने की आज्ञा दी । जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत 2071–74 खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील पचपहाड़ की पेश की। जिसमें विरासतन नामान्तरकरण में मोहम्मद पुत्र चांद खां के स्थान पर अनीसा पुत्री मोहम्मद खां, अब्दुल रफीक पुत्र मोहम्मद खां, नसीम बानो पुत्री मोहम्मद खां, मुन्ना खां पुत्र मोहम्मद खां, मेहरूनिशा पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद खां, रईस पुत्र मोहम्मद खां, रजिया पुत्री मोहम्मद खां, शमा परवीन पुत्री मोहम्मद खां, शमीम पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद खां, हनीफ खां पुत्र मोहम्मद खां का अंकन है इससे स्पष्ट है कि मोहम्मद खां के दो पत्नियां थी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पटवार मण्डल उदपुरा के पटवारी की रिपोर्ट में भी मोहम्मद खां पुत्र स्वर्गीय चांद खां की दो पत्निया क्रमशः शमीम व मेहरूनिशा बताई हैं । मेहरूनिशा के पुत्र रईस, मुन्ना व पुत्रियां रजिया शमापरवीन व अनीसा बतायी गई है । पटवारी रिपोर्ट लाडपुरा की रिपोर्ट में मोहम्मद खां पुत्र स्वर्गीय चांद खां की बेवा शमीम बानों, हनीफ खां, अब्दुल रफीक पुत्र एवं नसीम बानों पुत्री वारिसान बताये गये हैं । उक्त रिर्पोट एवं रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि मोहम्मद खां के दो पत्नियां थी जिनके पुत्र, पुत्रियां एवं पत्नियां ये समस्त वारिसान थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोहम्मद खां की केवल एक पत्नी मेहरूनिशा एवं उसके पुत्र रईस एवं मुन्ना तथा पुत्रियां रजिया, शमापरवीन को पक्षकार बना करके निर्णय पारित किया है जबकि मोहम्मद खां की दूसरी पत्नी शमीम बानों उसके पुत्र हनीफ खां, अब्दुल रफीक एवं पुत्री नसीम बानों जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, को पक्षकार नहीं बनाया है । अतः हम प्रकरण में अपीलांट को भी पक्षकार बनाकर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना हम उचित समझते हैं ।

(अहेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार बनाकर सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा